न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर राज.

अध्यासित द्वारा :– ओमप्रकाश सहारण , आर.ए.एस.

मु.न.
25/2022

प्रवेश तिथि
25.01.2022

निर्णय तिथि
03 .02.2022

उनवान

1. आमीन पुत्र सुमेर खां जाति मेव निवासी बाघोडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– वादी

बनाम

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढबास ,लैण्ड होल्डर , किशनगढबा जिला अलवर राज.

:– प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88,89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012

उपस्थिति:– ....

1. श्री असगर हुसैन वकील वादी की और से
2. प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार ।

–:निर्णय :–

वकील वादी ने वाद प्रस्तुत का सुक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से है:–
वकील वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 507 रकबा 0.13 हे.,565 रकबा 0.05 हे., 581 रकबा 0.34 हे. किता 3 रकबा 0.52 हे. सालिम वाके ग्राम बाघोडा तहसील किशगनढबास मे स्थित है । उक्त आराजी रहन मुर्तहन की भूमि थी जो आराजी नसीरी, बसीरी व जुम्मा की मुर्तहन की आराजी थी जिसके नाम अंकन जमाबन्दी मे बदस्तूर चला आ रहा है।

उक्त आराजी फूला सा. फूल्लाबास के नाम से रहन मुर्तहन दर्ज है चूंकी उक्त आराजी स्वतः ही फक रहन हाु चुकी है और उक्त आराजी पर नसीरी, बसीरी, व जुम्मा केनाम का अंकन हो रहा ह उक्त आराजी पर अपने जीवन काल मे बसीरी व मृतक नसीरी के वारिस अरसद व फरीदा पुत्री नसीरी का कब्जा चला आ रहा था ओर बसीरी, अरसद, व फरीदा ने उक्त आराजी का सौदा मिन वादी से 370,000 रू मे कर लिया , समस्त राशि नकद प्राप्त कर ली , अब कुछ भी लेना शेष नही है। बय इकरारनामा 20.05.08 को तहरीर कर दिया तथा मौके पर कब्जा संभला दिया था उसी दिन से आज दिन तक मिन वादी का कब्जा काश्त है ।

विवादित आराजी पर मिन वादी दिनांक 20.5.2008 से बतोर काश्तकार मौके पर काबिज व दाखिल है व काश्त करता चला आ रहा हूँ। इसलिए वादी अवैध हस्तानान्तरण राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.03.2012 के अनुसार के अनुसार राजकोष मे विवादित आराजी की राशिजमा कराने को तैयार हूं तथा विवादित आराजी के हकूक खातेदारी प्राप्त करने हेतु दावा हाा दायर है।

अतः वाद वादी निम्न प्रकार से दावा डिकी फरमाया जावे:–

क– डिकी इजराय बहक वादी पारित की जाकर घोषित किया जावे कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 507 रकबा 0.13 हे.,565 रकबा 0.05 हे., 581 रकबा 0.34 हे. किता 3 रकबा 0.52 हे. सालिम वाके ग्राम बाघोडा तहसील किशगनढबास का वादी खरीददार काबिज काश्त कार है तथा अवैध हस्तानान्तरण व कब्जे के आधार पर राजस्व रिकार्ड को राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कराने पर खातेदारी अधिकारी प्रदान किये जाये। तथा वादी का अंकन राजस्व रिकार्ड मे बतौर खातेदार दर्ज किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का अवलोकन किया। प्रकरण राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.03.2012 के अनुसार है ।

हमने वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वाद वादी को डिकी किये जाने की इश्तदुआ की।

हमने वकील वादी की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2070–73 मे जुम्मा पुत्र कल्लू, बसीरी, नसीरी पुत्री , हनसबी स.भाग राहिन फूला पुत्र केहर मेव सा. फूलावास तहसील तिजारा मुर्तहन दर्ज राजस्व रिकार्ड है राहिनान द्वारा जर्ये इकरारनामा दिनांक 20.05.2008 के द्वारा आराजी उक्त का हस्तानान्तरण वादी को किया है सम्वत 2029 के अनुसार हाल साबिक विवरण निम्न प्रकार से है:–

हाल	साबिक
507 रकबा 0–10 बिस्वा	649मिन रकबा 0–10 बिस्वा
565 रकबा 0–04 बिस्वा	651मिन रकबा 0–04 बिस्वा
581 रकबा 1बीघा 07 बिस्वा	661 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा

उक्तानुसार ही साबिक से हाल नम्बर पैमूद हुए है साबिक जमाबन्दी सम्वत 2013 के खाता सख्या 304 मे विक्रेता के बुजुर्गान के नाम का अंकन दर्ज राजस्व रिकार्ड मे है। तथा प्रस्तुत अन्य साबिक रिकार्ड मे उक्तानुसार ही अंकन जमाबन्दीयात मे हो रहा है। वाद के सलग्न कब्जा काश्त रिपोर्ट के अनुसार मौके पर वादी का कब्जा काश्त है आराजी उक्त का राजस्व रिकार्ड के राहिनान द्वारा जर्ये इकरारनामा दिनांक 20.05.2008 के द्वारा विक्रेय किया है मौके पर वादी का कब्जाकाश्त है चूकी आराजी उक्त को जर्ये इकरारनामा अवैध हस्तानान्तरण हुआ है इसलिए हम वर्तमान मे प्रभावी राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा करा हकूक खातेदारी प्रदत्त किया जाना उचित एवं न्यायसंगत समझते है न्याय एवं विधि का सिद्वान्त यही है वाद वादी काबिले डिकी करार पाता है।

अतः आदेश है:–

वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी डिकी किया जाकर वादी को आराजी खसरा नम्बर 507 रकबा 0.13 हे.,565 रकबा 0.05 हे., 581 रकबा 0.34 हे. किता 3 रकबा 0.52 हे. सालिम वाके ग्राम बाघोडा तहसील किशगनढबास का काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है वादी आराजी उक्त की राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कराने पर हकूक खातेदारी जर्ये सनद जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है राशि जर्ये चालान जमा होकर सनद खातेदारी जारी हो। तथा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज उक्त आराजी पर खातेदारान के नाम के अंकन को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाकर वादी के नाम का अमल मुताबिक सनद दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा वादी स्वयं करेग। पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमिल दाखिल लेख भण्डार हो। सुनाया गया।

ओमप्रकाश सहारण
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास जिला अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर राज.

अध्यासित द्वारा :— ओमप्रकाश सहारण , आर.ए.एस.

मु.न.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
25/2022	25-01-2022	03.02.2022

पर्चा डिक्री

उनवान

1. आमीन पुत्र सुमेर खां जाति मेव निवासी बाघोडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.

:— वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढबास ,लैण्ड होल्डर , किशनगढबा जिला अलवर राज.

:— प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88,89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012

....

उपस्थितिः—

1. श्री असगर हुसैन वकील वादी की और से
2. प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार

वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वादी को आराजी खसरा नम्बर 507 रकबा 0.13 हे.,565 रकबा 0.05 हे., 581 रकबा 0.34 हे. किता 3 रकबा 0.52 हे. सालिम वाके ग्राम बाघोडा तहसील किशगनढबास का काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है वादी आराजी उक्त की राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कराने पर हकूक खातेदारी जर्ये सनद जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है राशि जर्ये चालान जमा होकर सनद खातेदारी जारी हो। तथा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज उक्त आराजी पर खातेदारान के नाम के अंकन को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाकर वादी के नाम का अमल मुताबिक सनद दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

ओमप्रकाश सहारण
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास जिला अलवर

प्रारूप सख्या
(देखिये नियम 15(3))
सनद का प्रारूप

चूंकी राजस्थान भू. राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू. आवंटन नियम 1970 तथा आवंटन आदेश मे वर्णित शर्तो एवं राजस्थान निष्कान्त कृषि भूमि का स्थाई आवंटन नियम 1963 के संशोधित (राजस्व विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 06.10.2009 के संशोधित परिपत्र दिनांक 30.3.2012) के अधीन/नियमन की गई भूमि की खातेदारी सनद निम्न प्रकार से जारी की जाती है।

1. आवंटन एवं नियमन का दिनांक एवं स्थान	जर्ये वाद आमीन बनाम सरकार , निर्णय दिनांक 03.02.2022
2. खातेदार का नाम व पूर्ण पता	आमीन खां पुत्र सुमेर खां जाति मेव निवासी बाघोडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर
3. तहसील व जिला	तहसील किशनगढबास जिला अलवर
4. राजस्व ग्राम जहा भूमि स्थित है।	ग्राम बाघोडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर
5. भूमि का क्षेत्रफल मय खसरा नम्बर मय किस्म	आराजी खसरा 507/0.13, 565/0.05, 581/0.34 हे. किता 3 रकबा 0.52 हे. वाके ग्राम बाघोडा तहसील किशनगढबास किस्म बारानी ए
6. लगान दर	खातानुसार
7. भूमि किमत का ब्योरा मय ब्याज जो जमा की गई। मय राशि जमा होने का चालान नम्बर व दिनांक	जी.आर.एन. 58541565 से राशि 8320 रू.(आठ हजार तीन सौ बीस रूपये मात्र) मद सख्या 0075 जी.आर.एन. 58541339 से राशि 4160 रू.(चार हजार एक सौ साठ रूपये मात्र) मद सख्या 0049

नोटः– यह सनद राजस्व रिकार्ड मे दर्ज उक्त खसरे के समस्त अंकन को कलमजन किया जाकर पर जारी की गई।

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

कमाक/सम/2021/1666-69 दिनांक :– 10/02/22

प्रतिलिपिः–

निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. तहसीलदार किशनगढबास को प्रेषित कर लेख है कि प्रार्थीगण का सनद अनुसार खातेदारी नामान्तकरण दर्ज कर नामान्तकरण प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।
2. पटवारी हल्का को पालनार्थ।
3. प्रार्थी आमीन पुत्र सुमेर जाति मेव निवासी बाघोडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज
4. रक्षित पत्रावली

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

Three copy Recd